

**\*जनपद-संतकबीरनगर**

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक 30.08.2024\***

**\*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार\***

- \*थाना को0 खलीलाबाद पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- \*थाना मेहदावल पुलिस द्वारा\* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

**\*पीआरवी आफ द डे\***

**\*पीआरवी 6006 द्वारा सड़क मार्ग में बाईक से कुत्ता टकरा जाने के कारण घायल 01 व्यक्ति को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल—\*** पीआरवी 6006 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत नेदुला के पास से इवेन्ट संख्या 34570 से कालर द्वारा सड़क मार्ग में बाईक से कुत्ता टकरा जाने के कारण 01 व्यक्ति (1- विनीत श्रीवास्तव पुत्र जयलाल श्रीवास्तव, ग्राम सांथा, थाना बेलहरकला, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

**\*पीआरवी स्टाफ-\* मु0आ0 अभिषेक सिंह, म0आ0 नीतू गौंड, म0आ0 प्रिया राय, हो0चा0 रवीन्द्र यादव ।**

**\*मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 100 वाहनों से 1,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया\***

आज दिनांक 30.08.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 100 वाहनों से 1,04,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

**\*थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के 5400रु0, 01 अदद आधार कार्ड के साथ 03 नफर अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील सिंह\* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा \*श्री अजय सिंह\* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा \*श्री अनिल कुमार\* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियुक्त 1. सुनील कुमार पुत्र शिवचन्द्र निषाद निवासी नारायण पुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 522/24 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस तथा अभियुक्तगण 2. चन्द्र नारायण मिश्रा पुत्र उदयराज मिश्रा निवासी ग्राम नारायणपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 3. विकेश पुत्र रामउग्रह निवासी नारायण पुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 522/24 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस, मु0अ0सं0 467/24 धारा 305, 317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 434/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस को आज दिनांक 30.08.2024 को मुखबीर की सूचना पर चकिया धुसवा से नारायणपुर को जाने वाले बन्धे पुलिया मार्ग पर पुलिया के पास से चोरी के 5400रु0 व 01 अदद आधार कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया।

**\*संक्षिप्त विवरण-\*** दिनांक 29.08.2024 को वादी हनुमान पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी सकुरचक थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर बावत उक्त तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 27.08.2024 की रात को धुसवा चकिया बाजार में स्थित शराब की दुकान जिसमें वादी मुनीब है में घुसकर 08 शीशी बन्टी बबली शराब, लगभग 10000रु0 नगद, डी0वी0आर0 चुरा लेने तथा सीसीटीवी क्षतिग्रस्त कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 522/24 धारा 331(4),305 बीएनएस पंजीकृत कराया तथा दिनांक 01.08.2024 को वादी अजय कुमार पुत्र स्व0 रामस्वरूप ग्राम मलौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनांक 28.07.2024 को वादी की दुकान से 10000रु0 नगद, गले की सोने की चेन, कान का बाली व अन्य सामान दुकान के बगल का पटरा तोड़कर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 467/24 धारा 305ए बीएनएस पंजीकृत कराया था। दिनांक 21.07.2024 को वादी अनिल जायसवाल पुत्र छोटेलाल जायसवाल ग्राम छितौनी पो0 उमरिया पाण्डेय थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 20/21.07.2024 की रात्रि में पारा चौराहे पर स्थित वादी की फर्म अंश ट्रेडिंग कम्पनी से 1,12,000रु0 व आईफोन 15 चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 434/2024 धारा 331(4), 305 बीएनएस पंजीकृत कराया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी तथा मु0अ0सं0 467/24 व मु0अ0सं0 434/2024 में अभियुक्तगण 2. चन्द्र नारायण मिश्रा पुत्र उदयराज मिश्रा निवासी ग्राम नारायणपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर 3. विकेश पुत्र रामउग्रह निवासी नारायण पुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर का नाम प्रकाश में आया, थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

1. सुनील कुमार पुत्र शिवचन्द्र निषाद निवासी नारायण पुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

2. चन्द्र नारायण मिश्रा पुत्र उदयरज मिश्रा निवासी ग्राम नाराणपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।
3. विकेश पुत्र रामउग्रह निवासी नारायण पुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर ।

**\*बरामदगी का विवरण –\***

5400रु0, 01 अदद आधार कार्ड ।

**\*पूछताछ विवरण-\***

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि दिनांक 27.08.2024 को रात्रि में घुसवा चकिया बाजार में स्थित देशी शराब की दुकान में हम लोगो ने मिलकर शटर का ताला तोड़कर चोरी किये थे । जिसमें हम लोगों को कुल 1800 रु0 नकद गल्ला में मिला था । जिसे हम लोग आपस में बराबर - बराबर बाँट लिये थे तथा 08 सीसी शराब भी चुराये थे । दुकान में CCTV कैमरा लगा था इस लिए कैमरे से बचने के लिए उसका D.V.R उठा ले गये थे । D.V.R को सरयू नदी में उसी रात फेंक दिये थे और शराब पी गये थे । पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से क्षेत्र में घटित अन्य चोरी की घटनाओ के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर विकेश ने बताया कि साहब मैंने व चन्द्रनारायण मिश्रा ने मिलकर मलौली चौराहे पर स्थित चाय पानी की गुमटी की दुकान से करीब 01 माह पूर्व रात्रि में ताला तोड़ कर चोरी किये थे, जिसमें गुमटी के गल्ले से कुल 300 रु0 मिला था । जिसको हमलोगो ने आपस में आधा - आधा बाँट लिया था अन्य कोई सामान नहीं मिला था तथा हम लोगो ने उसके पूर्व पारा चौराहे पर स्थित किराने की दुकान से भी रात्रि में फाटक का सिटकनी तोड़कर दुकान के अन्दर गल्ले से चोरी किये थे, जिसमें गल्ले से कुल 6000 रु0 मिले थे । जिसको हम लोगो आपस में आधा-आधा बाँट लिया था अन्य कोई सामान हम लोगो ने नहीं चुराया था । मलौली एंव पारा में चुराये गये पैसो के बारे में दोनो से और पूछने पर विकेश ने बताया कि साहब मेरे पास मिले कुल 2400 रु0 में से मलौली में मिले चोरी के रुपये में से 800 रु0 तथा पारा दुकान से मिले रुपये में चोरी से मिले हिस्से में से 1000 है तथा शराब के ठेके चकिया धुसवा से चोरी के 600 रु0 हैं शेष रुपये मैंने खर्च कर दिया है तथा दूसरे व्यक्ति चन्द्रनारायण मिश्रा से भी पूछने पर चन्द्रनारायण मिश्रा ने बताया कि मेरे पास में मिले कुल 2400 रुपये में से 1100रु0 पारा स्थित किराने की दुकान में किये गये चोरी के है तथा 700 रुपया मलौली में टंकी में किये गये चोरी के है तथा शेष 600रु0 चकिया शराब ठेके की दुकान में किये गये चोरी के है । शेष चोरी के रुपये मैं खर्च कर चुका हूँ ।

**\*गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-\***

**\*थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम\*** - उ0नि0 श्री गामा यादव, उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, उ0नि0 श्री अनिल कुमार यादव, हे0का0 राणा प्रताप यादव, हे0का0 मोहन कुमार, का0 सलमान अंसारी, का0 आशुतोष पाण्डेय ।

**\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 3,10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमान \*ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2019 धारा 323/34, 302/34, 307/34 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. सगीर अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी सुकरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. अंसार अहमद पुत्र अजीजुल्लाह निवासी अगया बाजार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 302/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जिला संतकबीरनगर के मामले में धारा 307/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में धारा 323/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 01-01 वर्ष एवं 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि बाद मियाद अपील वादी मुकदमा को देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समोयोजित की जायेगी। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाये।

**\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 3,10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमान \*ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2019 धारा 323/34, 302/34, 307/34 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. सगीर अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी सुकरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. अंसार अहमद पुत्र अजीजुल्लाह निवासी अगया बाजार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 302/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जिला संतकबीरनगर के मामले में धारा 307/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में धारा 323/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 01-01 वर्ष एवं 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि बाद मियाद अपील वादी मुकदमा को देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समोयोजित की जायेगी। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाये।

**\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 3,10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमान \*ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2019 धारा 323/34, 302/34, 307/34 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. सगीर अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी सुकरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. अंसार अहमद पुत्र अजीजुल्लाह निवासी अगया बाजार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 302/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जिला संतकबीरनगर के मामले में धारा 307/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में धारा 323/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 01-01 वर्ष एवं 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि बाद मियाद अपील वादी मुकदमा को देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समोयोजित की जायेगी। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाये।

**\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 3,10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमान \*ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2019 धारा 323/34, 302/34, 307/34 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. सगीर अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी सुकरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. अंसार अहमद पुत्र अजीजुल्लाह निवासी अगया बाजार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 302/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जिला संतकबीरनगर के मामले में धारा 307/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में धारा 323/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 01-01 वर्ष एवं 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि बाद मियाद अपील वादी मुकदमा को देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समोयोजित की जायेगी। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाये।

**\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 3,10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर \*श्री सत्यजीत गुप्ता\* के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में \*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\* के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमान \*ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर\* द्वारा \*थाना दुधारा\* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2019 धारा 323/34, 302/34, 307/34 भादवि के मामले में अभियुक्तगण 1. सगीर अहमद पुत्र स्व0 शब्बीर अहमद निवासी सुकरौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 2. अंसार अहमद पुत्र अजीजुल्लाह निवासी अगया बाजार थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 302/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जिला संतकबीरनगर के मामले में धारा 307/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। अभियुक्तगण सगीर व अंसार अहमद प्रत्येक को मु0अ0सं0 117/2019 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के मामले में धारा 323/34 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर 01-01 वर्ष एवं 05-05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि बाद मियाद अपील वादी मुकदमा को देय होगी। अभियुक्तगण द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समोयोजित की जायेगी। अभियुक्तगण का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाये।

**\*“ऑपरेशन कनक्वशन” व “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व कुल 1,00,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **\*श्री सत्यजीत गुप्ता\*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में **\*संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल\*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरूप आज दिनांक 30.08.2024 को श्रीमान **\*ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट प्रथम जनपद सन्तकबीरनगर\*** द्वारा **\*थाना को0 खलीलाबाद\*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2019 धारा 498ए, 304बी, 302 भादवि 3/4 डीपी एक्ट के मामले में अभियुक्त रमेश शुक्ला पुत्र स्व0 सुबाष शुक्ला निवासी मीरगंज थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 302 भादवि के आरोप में दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगेगा। अधिरोपित अर्थदण्ड की आधी धनराशि बाद मियाद अपील वादी मुकदमा के विधिक प्रतिनिधि को देय होगी। अभियुक्त द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायावी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेजा जाये।